सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1429/MP/1/2023-ESDW **दिनांक: 13.04.2023**

श्री शिवराज सिंह वर्मा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला खरगौन,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय,
खरगौन, म.प्र-451001
ई-मेल: dmkhargone@nic.in

विषय: अतिक्रमणकारियों से कब्ज़ा हटवाकर भूमि वापस दिलवाने के संबंध में श्री रवि खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश, जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन, केंद्रीय कार्यालय, 18- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 का दिनांक 03.02.2023 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री रवि खन्ना से दिनांक 03.02.2023** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री रवि खन्ना,**
   प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश,
   जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन,
   केंद्रीय कार्यालय, 18- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
   नई दिल्ली-110001

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**